डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास

पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:–263/2009 दायर दिनांक:–21.12.2009

जीसीएमएस नं. 2009/00155

1. गोविन्द उम्र 48 साल
2. सोहनलाल उम्र 50 साल } पिसरान मूलचंद
3. केदार उम्र 42 साल

3/1 छोटी बेबा केदार

3/2 राजेश पुत्र केदार

3/3 विजय पुत्र केदार

3/4 अजय पुत्र केदार

3/5 संगीता पुत्र केदार

3/6 सोनिया पुत्र केदार

4. हरी उम्र 38 साल
5. ओमप्रकाश उम्र 35 साल } पिसरान मूलचंद
6. नन्दलाल उम्र 52 साल

6/1 कमला बेबा नन्दलाल

6/2 राजेश बेबा नन्दलाल

6/3 शशि पुत्री नन्दलाल

6/4 ममता पुत्री नन्दलाल

7. करोडी उम्र 48 साल
8. बनवारी उम्र 42 साल } पिसरान लल्लूराम
9. रमेश चंद्र उम्र 38 साल
10. रामगोपाल उम्र 51 साल
11. प्रकश चंद्र उम्र 47 साल } पिसरान गिर्राज
12. राजु उम्र 39 साल

} जाति कोली निवासी हिण्डौन सिटी

––वादीगण–12

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

1. मदन पुत्र सूका उम्र 55 साल जाति कोली निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली

1/1 भास्कर पुत्र मदन

1/2 जॉर्ज पुत्र मदन

1/3 कान्ता पुत्री मदन पत्नी विनोद, जाति कोली, निवासी रोडवेज बस स्टेण्ड के पास भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज0

2. पप्पु उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र किशनलाल उम्र 38 साल जाति कोली निवासी हिण्डौन

3. बबली उर्फ राजेन्द्र पुत्र किशनलाल उम्र 35 साल }
4. राधी पुत्र किशनलाल उम्र 25 साल } जाति कोली निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली
5. गुड्डु पुत्र किशनलाल उम्र 22 साल }
6. सन्ता पुत्री सूका पत्नी जगन्नाथ उम्र 58 साल जाति कोली निवासी टोडाभीम तहसील टोडाभीम
7. गुड्डन पुत्री सुका पत्नि रमेश उम्र 40 साल जाति कोली निवासी टोडाभीम तहसील टोडाभीम
8. गोपी पुत्र रामोली उम्र 50 साल जाति कोली निवासी हिण्डौन सिटी
9. मूला पुत्र मंगल उम्र 75 साल जाति कोली निवासी हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0
10. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी
11. उप पंजीयक हिण्डौन सिटी

-------प्रतिवादीगण-11

<u>दावा बाबत घोषणा खातेदारी,तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा न0 263/2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री पी एल गोयल एडवोकेट मिन जानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी न0 1, 8 की ओर से श्री लखन लाल गोयल एडवोकेट व श्री संतोष कुमार मुदगल एडवोकट एवं प्रतिवादी नं 02 ता 07 व 09 ता 11 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही, मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि आराजी खसरा न0 2436 रकबा 76 ऐयर स्थित रकबा हिण्डौन से सूका के वारिसान किशन पुत्र सूका हिस्सा 1/24, गुड्डन पुत्री सूका हिस्सा 1/24, मदनलाल पुत्र सूका हिस्सा 1/24, संता पुत्री सूका हिस्सा 1/24 इस प्रकार सूका के वारिसान की संपूर्ण खातेदारी हिस्सा 4/24 एवं रामोती पुत्र मंगल हिस्सा 1/6 की खातेदारी हजफ की जाती है। तथा उक्त हजफ की गई आराजी हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार गिर्राज पुत्र मंगल, मूलचंद पुत्र मंगल,मूला पुत्र मंगल,लल्लू पुत्र मंगल जातियान कोली निवासी हिण्डोन सा.देह खातेदार को बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक खातेदार को हिस्से 1/12-1/12 का, इस प्रकार गिर्राज पुत्र मंगल, मूलचंद पुत्र मंगल,मूला पुत्र मंगल,लल्लू पुत्र मंगल जातियान कोली निवासी हिण्डोन सा.देह खातेदार उक्त विवादित आराजी में बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक खातेदार को हिस्से 1/4-1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा वादीगण द्वारा तकास्मा की दादरसी को नोटप्रेस किया गया है। नोटप्रेस के आधार पर प्रकरण में तकास्मा हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत-मदाखलत पैदा न करें, वादीगण को शांति पूर्वक भूमि का उपयोग-उपभोग करने देवें, वादीगण को बेदखल स्वयं कब्जा नहीं करें भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन-बय नहीं करें। **पर्चा डिक्री जारी हो। पक्षकार अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।**

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख [illegible] को यह डिक्री जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर) 6/9/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली